न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
02/2019	प्रा0पत्र 144, 151 CPC	05.02.2019	31.05.2019

सहीराम दत्तक पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

—प्रार्थी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार महोदय, चूरू

—अप्रार्थी—

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री रमेश राहड़ प्रार्थी
2. पैरोकार राज उपस्थित।

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि भींवाराम बनाम सहीराम के प्रकरण में प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.07.2010 व अन्तिम डिक्री श्रीमान् के द्वारा जारी की गई थी कि खसरा नम्बर 180, 181, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 317/247 कुल तादादी 120 बीघा में से भींवाराम का 1/2 हिस्सा, व 1/2 हिस्सा में से 1/4 सहीराम का व 1/4 हिस्सा नानू, हनुमान, उमा, मोमन, अनु व कमला को डिक्री किया गया। यह कि प्रार्थी द्वारा एक अपील माननीय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवम् राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के न्यायालय में अपील संख्या 16/2017 निर्णय दिनांक 23.07.2018 को सहीराम बनाम भींवाराम में माननीय न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि विचारण न्यायालय ने अपना निर्णय दिनांक 18.05.2010 का खाता विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई थी एवम् अन्तिम डिक्री दिनांक 10.01.2011 को पारित की गई थी जिसे माननीय अपील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है इस प्रकार जो निर्णय एवम् डिक्री माननीय न्यायालय द्वारा पारित की गई थी उसे अपील न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई है जिस निर्णय की प्रति संलग्न है। यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 10.01.2001 को जब निरस्त कर दिया गया है तो राजस्व रिकार्ड के दावा से पहले की स्थिति वही हो जाती है जो राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही थी। यह कि इस प्रकार खसरा नं. 180, 181, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 317/247 कुल तादादी 120 बीघा में संयुक्त रूप से भींवाराम, सहीराम व नानू, हनुमान, उमा, मोमन, अनु व कमला का नाम अमल दरामद किया जाने का तहसीलदार चूरू का निर्णय दिनांक 23.07.2018 की पालना करने का स्वयं दायित्व बनता था परन्तु निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने के बावजूद भी अप्रार्थी ने आदेश की निर्णय के अनुसार पालना नहीं की जो कानूनन करवाई जानी आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है

उप खण्ड अधिकारी
चूरू

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर के निर्णय दिनांक 23.07.2018 जो अपील संख्या 16.02.2017 सहीराम बनाम भींवाराम आदि जो निर्णय दिनांक 10.01.2001 की पूर्व की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश अप्रार्थी को दिया जावे व खसरा नम्बर 180, 181, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 317/247 कुल तादादी 120 बीघा संयुक्त रूप से भींवाराम 1/2 हिस्सा, सहीराम 1/4 हिस्सा व नानू, हनुमान, उमा, मोमन, अनु व कमला के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर पूर्व स्थिति बहाल करवाये जाने का आदेश पारित किया जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार, चूरू पैरोकार राज उपस्थित हुए। पैरोकार राज की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी की ओर से पैरोकार राज ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं. 1 व 2 प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दु सं. 3 से 5 कानूनी है। पैरोकार राज ने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लेखित माननीय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवम् पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर द्वारा सहीराम बनाम भींवाराम आदि में निर्णय दिनांक 23.07.2018 से श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय, चूरू के निर्णय दिनांक 10.01.2011 को अपास्त कर दिये जाने के कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित खसरा नं. 180, 181, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 317/247 कुल तादादी 120 बीघा रोही रामदेवरा की दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति की जानी नियमानुसार है। जवाब प्रार्थना पत्र सादर प्रस्तुत है।

प्रार्थना पत्र में जवाब पेश होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। प्रार्थीगण रामनारायण व देवकरण की ओर से श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि हम इस प्रा0पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे बहस करना चाहते हैं। प्रा0पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश प्रा0पत्र का अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र में किसी भी तरह से हितबद्ध पक्षकार नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। प्रार्थी भोमाराम की ओर से श्री सिकन्दर खां एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. व सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील प्रार्थी ने इस प्रा0पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। नियत दिनांक को प्रार्थी भोमाराम के अधिवक्ता को न्यायालय समय में बहस हेतु बार–बार आवाजें लगाई गई परन्तु वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए, जिस पर वकील मूल प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली एवं पेश प्रा0पत्र का अवलोकन किया जाकर बहस के

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र में किसी भी तरह से हितबद्ध पक्षकार नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी. सी. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया। वकील प्रार्थी ने सूची के संलग्न नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 16.06.11 की छाया प्रति एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रति पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। वकील प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई। इस दौरान प्रार्थी नातुराम की ओर से दिनांक 27.05.2019 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दी गई। वकील प्रार्थी ने जवाब ना देकर सीधे बहस का निवेदन किया जिस पर उक्त प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी नातुराम का प्रार्थना पत्र भी पूर्व में पेश प्रार्थना पत्रों की भांति मूल प्रार्थना पत्र में सारहीन पाया जाने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया गया।

वकील प्रार्थी ने मूल प्रार्थना पत्र पर बहस सुनने का निवेदन किया जिस पर वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राज की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पर अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जब माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी ने अपने अपील निर्णय दिनांक 23.07.2018 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया है, को अपास्त कर दिया है तो कानूनन रूप से अपास्त किये गये आदेश या निर्णय से जो अंकन राजस्व रिकार्ड में किया गया है वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। मैंने पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार, चूरू के समक्ष पेश किया था परन्तु तहसीलदार, चूरू ने दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की सम्पूर्ण स्थिति कायम न करके कुछ खातेदारों के नाम वादगत भूमि के रिकार्ड में शामिल रख दिये हैं। वकील प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में पेश नामान्तरकरण संख्या 443 दिनांक 16.06.11 की छाया प्रति एवं वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रति को दर्शित करते हुए आगे कथन किया कि कानूनी प्रावधानों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 के द्वारा दर्ज अंकन को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल करने के आदेश तहसीलदार, चूरू को दिये जावें।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि माननीय न्यायालय आर.ए.ए. बीकानेर ने अपने अपील निर्णय में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांकित 10.01.2011 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया है जिसमें पर्याप्त साक्ष्य–सबूत, सुनवाई एवं बहस के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना है। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर देने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति कायम की जानी नियमानुसार है।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं जवाब पैरोकार राज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण व पैरोकार राज की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 की पालना में दर्ज किये गये अंकन को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी,

बीकानेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2018 की अनुपालना में दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल करने का निवेदन किया है। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर ने अपनी अपील संख्या 16/2017 अनुवानी सहीराम बनाम भींवाराम आदि के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2018 में इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 को अपास्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने हेतु रिमाण्ड किया है। पैरोकार राज ने अपने जवाब में निवेदन किया है कि अपील संख्या 16/2017 जो कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.07.2018 को इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर पुनः सुनवाई के निर्देश दिये हैं। इसलिए राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी नियमानुसार है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिस निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किया गया है जब वही निर्णय व डिक्री माननीय न्यायालय आर.ए.ए. द्वारा अपास्त किया जा चुका है तो उस निर्णय व डिक्री के आधार पर किया गया परिवर्तन भी अपास्त किये जाने योग्य हो चुका है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया है कि माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री अपास्त कर देने से वादगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में पूर्व की स्थिति बहाल की जानी नियमानुसार है।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचना एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के मध्यनजर यह स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2018 के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 को अपास्त कर पुनः सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने का आदेश दिया है। माननीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.01.2011 को अपास्त कर देने से उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2018 की पालना में वादगत राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन स्वतः ही निरस्त योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थी प्रथम दृष्टया उक्त वादगत राजस्व रिकार्ड में दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल करवाने के हकदार हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. का उचित होने से स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, चूरू को आदेश दिया जाता है कि वादगत कृषि भूमि तत्कालीन खसरा नम्बर 180, 181, 195, 196, 197, 203, 205, 206, 207, 208, 317/247 कुल तादादी 120 बीघा रोही रामदेवरा के वर्तमान खसरा नम्बर 180, 181, 195, 205, 317/247, 543/197, 544/197, 545/203, 546/203, 547/203, 548/207, 549/207, 550/208, 551/208, 619/196, 620/196, 621/206, 622/206 कुल तादादी 30.4522 हैक्टेयर रोही रामदेवरा में दिनांक 10.01.2011 से पूर्व की स्थिति बहाल कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 31.05.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू